न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 31/2023 (GCMS No. 2023/87)

हरफुलसिंह उम्र 63 वर्ष पुत्र बेगाराम उर्फ बोगाराम जाति जाट निवासी कुलहरियो की ढाणी तहसील मण्डावा जिला झुझुनू ।

– आवेदक

बनाम

1. अजयकुमार पुत्र शीशपाल उर्फ शीशराम
2. कमला पुत्री फुलचन्द
3. दिनेशकुमार पुत्र फुलचन्द
4. निर्मला पुत्री फुलचन्द
5. प्यारेलाल पुत्र रूघा
6. पानादेवी पत्नी फुलचन्द
7. बनवारीलाल पुत्र गणपत
8. बिमला पुत्री रूपाराम
9. भानाराम पुत्र गोमा
10. मन्जु पुत्री फुलचन्द
11. मनोहरी पत्नी रूपाराम
12. महेन्द्र पुत्र हीरालाल
13. रणजीतकुमार पुत्र रूपाराम
14. राजबाला पुत्री शीशपाल उर्फ शीशराम
15. रामकरण पुत्र रूघा
16. विकास चौधरी पुत्र हीरालाल
17. विद्याधर पुत्र गणपत
18. श्रवणी पुत्री रूघा
19. संगीता चौधरी पुत्री हीरालाल
20. सन्तोष पुत्री रूघा
21. सुनिता पुत्री शीशपाल उर्फ शीशराम
22. सुभाष पुत्र रूघा
23. सम्पत पुत्र फुलचन्द
24. सुमित्रा पत्नी शीशपाल
25. सुशीलादेवी पत्नी हीरालाल
26. हरिशचन्द्र पुत्र रूघा
    समस्त जाति जाट निवासीगण भामु का बास तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं।
27. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
28. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बिसाऊ जिला झुझुनू।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी –

निर्णय

दिनांक 04.09.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम भामु का बास पटवार हल्का कोदेसर की सरहद में अवस्थित आराजी ख.न. 87 रकबा 3.16 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता बेगाराम उर्फ बोगाराम ने जरिये विक्रय पत्र कय की थी। क्रय करने के दौरान से ही प्रार्थी के पिता ने उक्त भूमि को काश्त किया और काबिज रहे। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थी वाके ग्राम दुलचास से भामु का बास जाने वाले रास्ते से नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु A से B तक ख0न0 68 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे आवागमन करता रहा है तथा अपना ऊंट गाड़ा, ट्रैक्टर वगैर भी इसी रास्ते से लाते ले जाते रहे है। प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिये प्रार्थी को नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु A से B 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में लाल स्याही से अंकित कर राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. की दुगुनी कीमत से भुगतान करने के लिये तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी के आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा उक्त नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु A से B राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी भूमि तक जाने के लिये आनाकानी कर रहे है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। खातेदार मुंगीदेवी पत्नी रूघा का स्वर्गवास हो चुका है उनके वारिसान पहले से रिकार्ड पर है इसलिये मुगीदेवी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भामु का बास में अवस्थित अपनी भूमि खेत ख.न. 87 में जाने के लिये अनावेदक नं. 1 लगायत 26 की भूमि ख.न. 68 की पश्चिम सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु A से B 3 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जावे। वैकल्पिक अनुतोष में ए से बी बिन्दु तक रास्ता में जाने वाली भूमि की डी एल सी की दुगुनी कीमत आवेदक चुकाने के लिये आवेदक तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार बिसाऊ से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 26 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 26 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार बिसाऊ ने अपने पत्र क्रमांक 17 दिनांक 19.06.2024 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार बिसाऊ ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त भूमि में पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम है इसके अलावा अन्य कोई लघुतम मार्ग नहीं है। आवेदक द्वारा चाहे गये रासते की लम्बाई 5 मीटर है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये ख0न0 68 में से चाहा गया रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या,

यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 87 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान किये गये कथनानुसार आवेदकगण को ख0न0 68 के पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B तक रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 68 में नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B तक रास्ता लघुतम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 87 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 68 के पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A से B तक 3 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार बिसाऊ को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 68 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 68 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर